

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 127/2018 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,  
इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि०  
शाखा कार्यालय-शॉप नं० एफ-०१-०२  
प्रेम भवन, गांधीनगर भीलवाड़ा-311022

—प्रार्थी

**बनाम** 1.श्रीमती रीना बानो पत्नि बब्बुदीन निवासी  
प्लॉट नं० 12, पानी की टंकी के पास, ग्राम  
सुल्तानपुरा त० हुरड़ा जिला भीलवाड़ा  
द्वितीय पता-श्री बब्बूदीन पिता गनी मोहम्मद,  
निवासी प्लॉट नं० 12, पानी की टंकी के  
पास ग्राम सुल्तानपुरा त० हुरड़ा  
2.श्री गनी मोहम्मद पिता गफूर खां निवासी  
प्लॉट नं० 12 पानी की टंकी के पास ग्राम  
सुल्तानपुरा त० हुरड़ा

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण**  
**और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

उपस्थित:- श्री कुणाल ओझा -अधिवक्ता प्रार्थी

**निर्णय**

दिनांक : 07/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि० शाखा कार्यालय-शॉप नं० एफ-०१-०२ प्रेम भवन, गांधीनगर भीलवाड़ा-311022 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी श्री गनी मोहम्मद पिता गफूर खां मिरासी निवासी सुल्तानपुरा ग्राम पंचायत बड़ला त०हुरड़ा पं०स०हुरड़ा के द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 5 बुक सं० 79 से नपती 35 फीट बाई 70 फीट कुल 2450 वर्गफीट का जो दिनांक 23.12.2014 को जारी किया जिसका पंजीयन दिनांक 05.05.2015 कर स्वामित्व प्राप्त किया जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। उक्त आवासीय सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व की होने से रहन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।

जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा